National Association of Street Vendors of India (NASVI)

#304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001

Tele: 0612-2220772/2220773, E - Mail: nasvinet@hotmail.com

सेवा में, दिनांक 06/05/2021

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री
बिहार

विषय: लॉक डाउन में नागरिकों के सुरक्षा एवं स्ट्रीट वेंडर्स के आजीविका सुरक्षा हेतु सुझाव |

आदरणीय महोदय,

नासवी के तत्वाधान में बिहार के फूटपाथ दुकानदार संगठनों की वेर्चुअल बैठक हुई | राज्य के लगभग 2.5 लाख फूटपाथ दुकानदार, जिनपर लगभग 14 -15 लाख लोग आश्रित है, कोई भी आर्थिक नुकसान सह पाने की स्तिथि में नहीं है वरना महामारी के चपेट में आने से पहले वो भूख से मर जायेंगे|

महोदय, वर्तमान लॉक डाउन में थोक एवं खुदरा सब्जी व फल वाले को सुबह 7- 11 बजे तक ही बेचने की अनुमति है | जिससे खुदरा बाज़ार में 9 बजे 11 बजे के बीच बहुत भीड़ होती है, इसी बिच 10 बजे से ही स्थानीय पुलिस प्रशासन बंद करवाने का जबरदस्ती करने लगती है एवं लाठी बल का भी प्रयोग करती है | चुकी यह कच्चा सामान होता है यह शीघ्र ख़राब हो जाता है, विक्रेता को बहुत ही आर्थिक नुकसान हो रहा है| पुलिस विक्रेतावों के साथ साथ आम लोग जो सब्जी- फल लेने आते है उनसे भी सख्ती करती है| विक्रेतावों ने प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10000 रु का ऋण लिए है जिसे चुकाना उनके समक्ष अब एक गंभीर चुनौती है|

सुझाव व समाधान :

- थोक व खुदरा दोनों तरह के बाज़ार के लिए समय निर्धारित किये जाय | प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक एवं अपराहन 3 बजे से 6 बजे तक **या** प्रातः 6 बजे से 1 बजे तक निर्धरित्त किये जाय |
- सब्जी व फल बाज़ारों को समय आधिरित व क्षेत्रवार भी व्यवस्थित किया जाने का विकल्प है| इसमें कपडे व अन्य वेंडर्स के लिए भी स्थान बनाया जा सकता है|
- गली मोहल्लो में घूम घूम कर बेचने वालों दुकानदारों के तय समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक को स्पस्ट रूप से दिशा निर्देशन पत्र में उल्लेखित किया जाय |
- पुलिस प्रशासन को यह स्पस्ट निर्देश हो की फूटपाथ दुकानदारों एवं घूम घूम कर बेचने वालों को अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें|
- नगर निकाय द्वारा सर्वेक्षित वेंडर्स को नगर निकाय एवं टाउन वेंडिंग समिति के माध्यम से दो महीने के लिए रासन एवं 3000 रु आवश्यक रूप से प्रदान किये जाय|
- सभी सर्वेक्षित फूटपाथ दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाय |

आभार

राकेश त्रिपाठी
कार्यक्रम निदेशक
8051808001

प्रतिलिपि :

प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार

Administrative Office: 1st Floor, Sagar Complex, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg Delhi-110092.

Tel: 011 47553013, 43073013, Email: office@nasvinet.org, Website: www.nasvinet.org

National Association of Street Vendors of India (NASVI)

#304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001
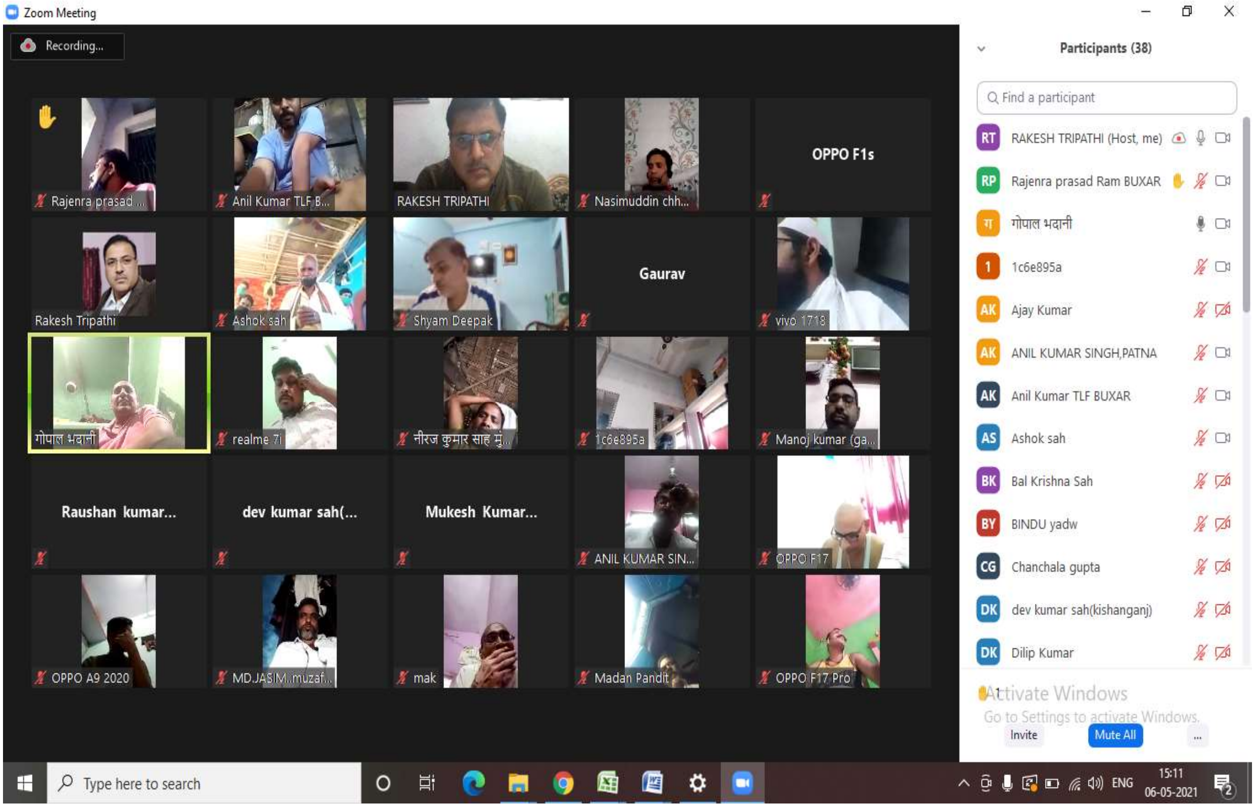
Tele: 0612-2220772/2220773, E - Mail: nasvinet@hotmail.com